

(H)

क्रमांक 5

दिनांक 22/11/2001

Enc. No.

प्रेषक

एम। सी. शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2
समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली।

मान्य संसाधन विभाग।


महाराष्ट्र 28 नवंबर 2001

विषय: सेंट मरी स्कूल, रुद्रपुर (जयम सिंह नगर) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेंट मरी स्कूल, रुद्रपुर (जयम सिंह नगर) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने में कृपया राज्य सरकार को निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1. विद्यालय की पर्यटन योग्यता का समग्र-समाय पर तदीनीकरण प्रत्यक्ष जायेगा।
2. विद्यालय की प्रत्यक्ष संचालित में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे पररांचल सामन, देहरादून द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त होने की स्थिति से पररांचल शासन, देहरादून द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता भत्ता असाहायकीय उपाय विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमत्य सेवा विनियम का सम सम्बन्ध बनाये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समग्र-समाय पर जो भी अनापत्ति निर्मित गिरी सामग्री तथा उपकरण प्रदान करेगी।
8. विद्यालय का शिक्षण निर्धारित प्रगत/पंजीकृतों में रखा जायेगा।
9. सन्त शर्तों में राज्य सरकार को पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्तन नहीं किया जायेगा।



MANAGER
St. Mary's Sr. Sec. School
Rudrapur, U.S. Nagar,
Gharwal

पृष्ठ: 2

- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि:-
- 1- कक्षा, शिक्षकों, भूमि तथा भवन की स्थिति स्पष्ट करा ली जाय।
 - 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पता जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लिया जायेगा।

04

संख्या - 5

संख्या (1)/2(211)/मा0सं0वि0/2001 तददिनांक।

बतौर
/
(सं० रवि शंकर)
सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तरांचल।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, कछम सिंह नगर।
- 4- प्रवन्धक, सेंट मेरी स्कूल, रुद्रपुर (कछम सिंह नगर)।
- 5- अनुभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,
N. Ravi Shankar
(सं० रवि शंकर)
सचिव।